

अ. अ. अ. अ. अ. अ.

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

24/18

पत्रावली राजसय लोक अवातत अभियान
न्याय आपके द्वारा 2018 में रखे जाने
योग्य पायी जाने पर करण राजस अदालत
सेवा केन्द्र पौकडी ^{15.05.2018} में पर्या है।

14/18

कार्यवाही हेतु दिनांक 22/2/19 को पत्र भेजा है।

22/18

कार्यवाही हेतु दिनांक 07-03-19 को पत्र भेजा है।

07/19

कार्यवाही हेतु दिनांक 25/3/19 को पत्र भेजा है।

25/19

कार्यवाही हेतु दिनांक 27/3/19 को पत्र भेजा है।

27/19

कार्यवाही हेतु दिनांक 29/3/19 को पत्र भेजा है।

प्रमथन: पकील अजाकी की ओर से
तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 17.03.2017 पर
आपने जा ख जेरा दिवा दिवा नरुल पकील
सुरिपक से रिपोर्ट, जा ख शरण दिवा जा।

29/19

कार्यवाही हेतु दिनांक 10/04/19 को पत्र भेजा है।

तारीख हुक्म

10/04/19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उमय पक्ष
 पक्षील जजरी की ओर से जपाप आपत्ति
 पत्र पेश हुआ जिसकी नकल पक्षील
 को दिखाई गई। बाबते वरस रेतराज
 पत्र पत्रावली दिनांक 22/04/2019 को पेश

22/04/19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाप फरिफेन
 उप/अनुपस्थित। नितरातीन अधिकारी बंधे
 /अप कार्य में वरस पत्रावली अग्रिम
 कार्यवाही हेतु दिनांक 23/04/2019
 को पेश हो।

23/04/19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उमय पक्ष
 बाबते वरस रेतराज प्रा० पत्र, पत्रावली
 30/04/2019 को पेश हो।

30/04/19

पत्रावली पेश हुई। उमय पक्ष वरस सुनी गयी। निर्णय
 हेतु पत्रावली 21/10/19 को पेश हो।

21/10/19

पत्रावली निर्णय हेतु पेशी में ली गयी। समयाभाव के कारण
 फैसला नहीं लिखा जा सका। निर्णय हेतु पत्रावली दि.
 11/11/19 को पेश हो।

11/11/19

पत्रावली निर्णय हेतु पेशी में ली गयी। उमय पक्ष के
 वरस के वक्तों पर गौर किया गया। धारणी द्वारा ख.नं. 2227
 में छिद्र संक सं ख.नं. 2227 (चारगाह), ख.नं. 2227
 (प्रतिवादीगण खोदारी) एवं लोटे हुये ख.नं. 2227 में पट्टी हेतु
 मार्ग साध गया है।
 RTA 251(क) के वरत स्वीकृति मार्ग सं connect
 होने वाली सुवर्तकारों की खोदारी भूखे सं लोटे हुये Short
 मार्ग स्वीकृति के अकाम है।
 चारगाह भूमि में सं रास्ता स्वीकृति की शर्तियां 251(क)
 RTA के वरत नहीं हैं।
 ख.नं. 2227 चारगाह भूमि होने के कारण धारणी का
 वाद पोषणीय नहीं है।
 अतः वाद वादी खारिय किया जाता है।
 रास्ते रास्ते की खुला रखने वास्तु धारणी आवश्यक
 चारगाह न्यायालय देखीलवार में आवेदन करके
 अनुदान प्राप्त कर सकता है।
 निर्णय आज दि. 11/11/19 को खुले न्यायालय में
 सुनाया गया।



उपपक्ष अधिकारी
 पणजे (सीकर)